<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>10.12.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने मेसर्स आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के मामले में 09.12.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 135.06 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने कुछ व्यक्तियों और सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों/सोसाइटी के सदस्यों से करोड़ों रुपए एकत्र किए, जिन्हें बाद में आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों, फर्मों, एलएलपी आदि द्वारा निकाल लिया गया और इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ और आरोपियों को गलत तरीके से लाभ हुआ।

ईडी की जांच से पता चला है कि मुकेश मोदी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का सोसाइटी और उसके फंड पर नियंत्रण था। उन्होंने गरीब निवेशकों को उनके निवेश पर असामान्य उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर लालच दिया और तदनुसार हजारों करोड़ रुपये की राशि एकत्र की। जांच के दौरान पाया गया कि सोसायटी के धन को असुरक्षित ऋण, सोसायटी में सेवारत मुकेश मोदी के परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहन/अनुग्रह भुगतान, पारिवारिक फर्म को एजेंसी कमीशन, घाटे में शेयर ट्रेडिंग, रियल एस्टेट और मुकेश मोदी, उनके परिवार और सहयोगियों के अन्य व्यवसायों में लगा दिया गया। जांच से पता चला कि मुकेश मोदी और उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और उनकी कंपनियों/फर्मों/एलएलपी ने अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) 3830.06 करोड़ रुपये (लगभग) अर्जित की थी, जिसका उपयोग उन्होंने अचल/चल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया।

उक्त मामले में, ईडी द्वारा पहले ही 2075 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 139 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जयपुर के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत और एक पूरक शिकायत दायर की गई है और विशेष न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।